

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना जिला-पन्ना म.प्र.

क्रमांक-

/ 2025

पन्ना, दिनांक 01.05.2025

विविध आदेश

मैं रीतिका मिश्रा पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना, भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये **माह मई 2025** के अवकाश दिवसों के लिये **जिला मुख्यालय पन्ना एवं तहसील मुख्यालयों पवई व अजयगढ़** में आकस्मिक न्यायिक कार्य के निष्पादन हेतु निम्नानुसार रिमाण्ड संबंधी व्यवस्था करता हूँ-

मुख्यालय पन्ना के संबंध में रिमाण्ड ड्यूटी-चार्ट

क.	नाम दण्डाधिकारी	अवकाश दिवस माह मई-2025
01.	श्रीमति बिन्दु पटेल जे.एम.एफ.सी. पन्ना	03.05.2025
02.	सुश्री इकरा मिन्हाज, जे.एम.एफ.सी. पन्ना	11.05.2025
03.	श्री भूपेन्द्र सिंह, जे.एम.एफ.सी. पन्ना	12.05.2025
04.	सुश्री श्वेता आर्य जेएमएफसी पन्ना	04.05.2025

नोट: माह मई के शेष अवकाशों के संबंध में रिमाण्ड ड्यूटी का वितरण ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृति अनुसार होगा।

तहसील मुख्यालय पवई के संबंध में रिमाण्ड ड्यूटी-चार्ट

क.	नाम दण्डाधिकारी	अवकाश दिवस माह मई-2025	अवकाश दिवस माह जून-2025
01.	श्री अमित शर्मा, जे.एम.एफ.सी.पवई	11, 12, 18, 15,	15, 29
02.	श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज, जे.एम.एफ.सी. पवई	3, 4,	1, 8, 21, 22

तहसील मुख्यालय अजयगढ़ के संबंध में रिमाण्ड ड्यूटी-चार्ट

क.	नाम दण्डाधिकारी	अवकाश दिवस माह मई-2025	अवकाश दिवस माह जून-2025
01.	सुश्री उपमा भार्गव, जे.एम.एफ.सी. अजयगढ़	माह मई 2025 के समस्त सार्वजनिक अवकाश मय स्थानीय अवकाश	माह जून 2025 के समस्त सार्वजनिक अवकाश मय स्थानीय अवकाश

नोट:-

- कॉलम नंबर 01 में उल्लिखित न्यायिक दण्डाधिकारी उक्त उल्लेखित अवकाश दिवस में मुख्यालय पन्ना एवं तहसील मुख्यालयों में दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक अपने स्टाफ के साथ उपस्थित होकर अवकाश दिवस में प्रस्तुत होने वाले आकस्मिक दायित्व कार्य का निष्पादन करेंगे।
- सुश्री उपमा भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ के अवकाश पर रहने पर **माह मई, जून 2025** के सार्वजनिक अवकाशों में उनके न्यायालय से संबंधित समस्त रिमाण्ड संबंधी कार्यवाही मुख्यालय

- पन्ना में नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जायेगी।
3. यदि माह मई 2025 में अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होते हैं तो सुश्री इकरा मिन्हाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी। यदि माह जून 2025 में अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होते हैं तो सुश्री श्वेता आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी।
5. तहसील मुख्यालय पर्वई में मई 2025 में अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होते हैं तो अमित शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पर्वई द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी। यदि माह जून 2025 में अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित होते हैं तो सुश्री हिमांशी भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी।
7. उपरोक्त अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आपातकालीन दशा को छोड़कर परिवर्तित नहीं की जावेगी एवं आपातकालीन स्थिति में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के प्रभार वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट से लिखित में सहमति प्राप्त कर तत्संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना को लिखित में सूचित कर एवं अनुमति प्राप्त कर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे अथवा आपातकालीन दशा में रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तत्संबंध में मौखिक/लिखित निर्देश दिये जाने पर कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।
8. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण इस समयावधि में होता है, तब उनके स्थान पर कार्यभार गृहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी इसी कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी।
9. माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के द्वारा जारी आदेश के फलस्वरूप यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त रहती है, तब निर्धारित कार्यक्रम अनुसार माह मई में श्रीमती बिन्दू पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा तथा माह जून में श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी। इसी प्रकार पर्वई एवं अजयगढ़ मुख्यालय पर जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उपलब्ध रहेंगे, उनके द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

(रीतिका मिश्रा पाठक)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना

जिला-पन्ना म.प्र.

पन्ना, दिनांक 01/05/2025

पृष्ठांकन क्रमांक- SS / 2025

प्रतिलिपि:-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. श्री बिंदू पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
03. सुश्री इकरा मिन्हाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
04. श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
05. सुश्री श्वेता आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
06. श्री अमित शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पर्वई की ओर सूचनार्थ।
07. श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पर्वई की ओर सूचनार्थ।
08. सुश्री उपमा भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- ✓ 10. ज.एस.ए. पन्ना को सीआईएस पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(रीतिका मिश्रा पाठक)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना

जिला-पन्ना म.प्र.